न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 30/2023	तारीख रजू 31.01.2024	निर्णय दिनांक 28.02.2024

सरकार बनाम प्रीतम

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि प्रीतम पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी उदेई कलां तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम उदेई कलां स के खसरा नं. 5825 रकबा 189 वर्गमीटर किस्म चाही 1 व जाव 1 पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत प्रा0पत्र इस न्यायालय को पत्रांक प( )लोकल परिवाद/2024/1660 दिनांक 08.02.2024 द्वारा प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी के स्वामित्व का मकान एफ सी आई गोदाम रोड़ सैनिक नगर काफी पुराना है तथा उक्त मकान का पट्टा बना हुआ है। तथा कुछ भाग मंदिर माफी में आता है। इसी प्रकार आस–पास करीब 500–700 मकानात अन्य के बने हुये है, जो कि मंदिर माफी में बने हुये है किन्तु कुछ लोगों को ही नोटिस दिये जाकर कार्यवाही की जा रही है जो कि व्यक्तिगत रूप से द्वेष्ता को इंगित करता है। कार्यवाही सभी लोगों के खिलाफ की जावें। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में उक्त भूमि के संबंध में एस.बी. सिविल रीट पिटीशन संख्या 720/2024 प्रस्तुत कर रखी है। जिसमें दिनांक 12.01.2024 को माननीय न्यायालय ने कार्यवाही स्थगन करते हुये आदेश जारी कर रखे है।

जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी से प्राप्त पत्रांक एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रीट पिटीशन संख्या 720/2024 में दिये गये निर्णय दिनांक 12.01.2024 निर्णय अनुसार गैरसायल को अपील संबंधी दस्तावेज करने हेतु पुनः नोटिस जारी किये गये। गैरसायल बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है तथा ना ही गैरसायल द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार निर्धारित अविधि में की गयी अपील संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये है अतः इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने मकान का कुछ हिस्सा मंदिर माफी की भूमि में होना अंकित किया है। उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा भी

अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा जिस भूमि पर अवैध अतिचार किया है वह मंदिर माफी की भूमि है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। पटवारी हल्का को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/— की 50 गुना शास्ति 50/—रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ...18...
पर रुपये 50/— की कायमी वर्ष
2023—24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार